न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2021 GCMS No. 2021/9
दायरा तिथि : 04.01.2021
आदेश तिथि : 27-6-2022

प्रार्थी :–
कोना उर्फ कानाराम गोदपुत्र गलाराम जाति सीरवी सोलंकी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1.राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. रामाराम, दलाराम, मोटाराम,जसाराम पिसरान् नगाराम जातिगण सीरवी
निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सिंचाई हेतू भूमिगत पाईनलाईन बिछाने की अनुमति बाबत

दिनांक :27-6-2022

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 3348/1 रकबा 0.48 हैक्टर की सिंचाई के लिये खसरा नंबर 3345 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरे से ग्राम बाली के खसरा नंबर 1365 रकबा 16.31 हैक्टर किस्म गै.मु. नदी के रास्ते होते हुये भूमिगत् पाईप लाईन बिछाये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में बतौर नोट अभिकथन वर्णित किया कि अप्रार्थी रामाराम पुत्र नगाराम जी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 3348 रकबा 0.035 हैक्टर में स्थित कुआ से सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाईन प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 3348/1 व 3348/3 एवं अप्रार्थी जसाराम, मोटाराम, दलाराम की खातेदारी कृषि भूमि से गुजरते हुए खसरा नंबर 3343 तक जाता है, प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लिखत ईकरारनामा दिनांक 07.06.2007 के तहत प्रार्थी– अप्रार्थीगण के मध्य स्वयं की खातेदारी भूमियों में सिंचाई हेतु पानी ले जाने के लिए सहमति प्रदान की गयी थी। जिससे अप्रार्थी पक्ष की पाईप लाईन भूमिगत गुजर रही हैं एवं प्रार्थी की खातेदारी में जाने हेतु मौके पर खुली नाली थी जिसके अप्रार्थीगण ने रोक कर मौके पर अलामात भी समाप्त कर दिये हैं। प्रमाण में लिखत दिनांक 07.06.2007 की प्रति पेश की गई। प्रार्थी अनावश्यक विवाद से बचने हेतु व भविष्य में टण्टा फसाद नहीं हो, के लिये खसरा नंबर 3365 रकबा 16.31 मेंसे भूमिगत् पाईप लाईन बिछाना चाहता है, नक्शे में प्रस्तावित भूतिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु फोटो बरंग लाल दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1362 दिनांक 12.05.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह हैं कि ग्राम बाली के खसरा नंबर 3348/1 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। एवं खसरा नंबर 3345 रकबा 0.01 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–02 के सह खातेदारी की भूमि है। आवेदक ने पूर्व में अपने पडौसी खातेदारो के आपसी सहमति बंटवाडा स्टाम्प 50/–पर लिखत की फोटो प्रति पेश की है। जिसमें बिन्दु संख्या 01 में सिंचाई हेतु पानी की पाईपलाईन, पानी की वेल ले जा सकेगें तथा सिंचाई कर सकेगें वर्णित हैं।
2. यह हैं कि जिन खसरो से पाईप लाईन डाली जाना प्रस्तावित है उन खसरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	पाईप लाईन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	3348/2	0.23 हैक्टर	बारानी अव्वल	24 वर्गमीटर	रामाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
2	3348/12	0.06 हैक्टर	बारानी अव्वल	24 वर्गमीटर	दलाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
3	3348/13	0.213 हैक्टर	बारानी अव्वल	24 वर्गमीटर	मोटाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
4	3348/16	0.213 हैक्टर	बारानी अव्वल	24 वर्गमीटर	जसाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
				96गमीटर	

3. यह हैं कि ग्राम बाली की डी.एल.सी. दर 3744996/–रूपये प्रति हैक्टर है।

पेज लगातार.......02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2021 GCMS No. 2021/9

अनवान कोना उर्फ कानाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह हैं कि आवेदक ने बाली के खसरा नंबर 3365 रकबा 16.31 हैक्टर किस्म गै.मु. नदी मेंसे ढाई फीट गहरी व 2 फीट चौडाई की भूमिगत् पाईप लाईन स्थापित करने हेतु आवेदन किया है, परन्तु उक्त खसरा नंबर 3365 प्रतिबंधित श्रेणी भूमि होने से न्यायोचित नहीं हैं।

5. यह हैं कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में सिचाई के लिए वर्तमान में अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः विकल्प के रूप में पडौसी खातेदारान् की निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3348/2, 3348/13, 3348/16 मेंसे भूमिगत पाईप लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तथा पूर्व में उपरोक्त खसरा नंबर 3348/2, 3348/12, 3348/13, 3348/16 में सिंचाई हेतु खसरा नंबर 3348/3 रकबा 0.97 हैक्टर मेंसे भूमिगत पाईप लाईन स्थापित है जो कि कोना उर्फ कोनाराम गोद पुत्र गलाराम की खातेदारी भूमि हैं।

6. यह हैं कि प्रस्तावित भूमिगत् पाईप लाईन जहाँ पर से निकलेगी उस जगह के खसरा नंबर 3348/2 के सम्पूर्ण भाग में तथा खसरा नंबर 3348/12 के आधे भाग में रजगा की फसल मौके पर खडी है, जिसकी क्षतिपूर्ति अनुमानित किमत करीबन 5000/–रूपये की फसल की क्षति होगी होगी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में हितबद्ध निजी खातेदार रामाराम, दलाराम, मोटाराम, जसाराम पिसरान् नगाराम को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामील के पश्चात् अप्रार्थी दलाराम स्वयं ने उपस्थित होकर तथा मोटाराम की ओर से उसकी पत्नि मांगी ने दिनांक 18.05.2020 को उपस्थित होकर आवेदक को उनकी भूमि से भूमिगत् पाईप लाईन बिछाये जाने बाबत् सहमति प्रकट की गई। अप्रार्थी रामाराम व जसाराम की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक ने जिस गै.मु. बेरा खसरा नंबर 3345 रकबा 0.01 हैक्टर से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2248/1 रकबा 0.48 हैक्टर की सिंचाई के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मेंसे होकर अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन की अनुमति चाही है, मौके पर उक्त बेरा का अस्तित्व ही नहीं है, तहसीलदार, बाली ने मौका स्थिति के विपरित रेकर्ड के अनुसार रिपोर्ट कर दी है, जबकि वास्तव में खसरा नंबर 3345 मौके पर गै.मु. बेरा नहीं है, अतः प्रकरण में तहसीलदार, बाली से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब करने के साथ साथ स्वयं द्वारा मौके की भौतिक स्थिति का सत्यापन किये जाने की दलील देते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत आपत्ति प्रा.पत्र की नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई एवं साथ ही तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट तलब की गई एवं साथ ही मौका भी देखा गया। तहसीलदार, बाली ने आपत्ति में उल्लेखित तथ्यों के सबंध में जांच करते हुये विस्तृत जांच प्रतिवेदन अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/1636 दिनांक 06.06.2022 से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसारः–

1. यह हैं कि आवेदक श्री कोना उर्फ कोनाराम गोद पुत्र गलाराम जाति सिरवी निवासी बाली तहसील बाली के द्वारा ग्राम बाली के खसरा नंबर 3365 रकबा 16.31 हैक्टर किस्म गै.मु. नदी से ढाई फीट गहरी व 2 फीट चौडाई की भूमिगत् पाईपलाईन स्थापित कराने हेतु आवेदन किया है, परन्तु उपरोक्त खसरा नंबर 3365 प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से न्यायोचित नहीं हैं।

2. यह हैं कि प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा नंबर 3345 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा जो संयुक्त खातेदारी की दर्ज हैं। वर्तमान में उक्त खसरा में कोई बेरा नहीं हैं। एवं बेरा पूर्णतया बुरा हुआ है। वर्तमान में उक्त बेरे से सिंचाई नहीं हो रही हैं। आवेदक श्री कोना उर्फ कोनाराम गोद पुत्र गलाराम के स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3348/3 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में सिंचाई स्वयं की ग्राम बाली में खरीद शुदा भूमि खसरा नंबर 3317/1 से 3348/3 तक भूमिगत पाईपलाईन बिछाई हुई हैं।

3. यह हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 3348/1 में सिंचाई के लिए वर्तमान में अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः विकल्प के रूप में खसरा नंबर 3348/3, 3348/12, 3348/13 व 3348/16 मेंसे भूमिगत् पाईपलाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रकरण आदेश के लिये लंबित रहते अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर मूल आवेदन के पद संख्या iii ख में खसरा नंबर 3345 की जगह लाल स्याही से खसरा नंबर 3317/1 उल्लेखित/संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई जाने पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.06.2022 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। बहस के पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए प्रार्थी के आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार कुआ का खसरा नंबर 3317/1 संशोधन के माध्यम से माना जाता है। जिससे मूल आवेदन के पद संख्या iii ख में खसरा नंबर 3345 की जगह लाल स्याही से खसरा नंबर 3317/1 लाल स्याही से उल्लेखित/संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ... (पाली)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2021 GCMS No. 2021/9
अनवान कोना उर्फ कानाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा
<u>अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपत्तिकर्ता श्री रताराम राठौड़ ने बहस में आपत्ति में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी के आवेदन पत्र पर तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक दिनांक 12.05.2022 से मौका स्थिति के विपरित खसरा नंबर 3345 में बेरा मौके पर मौजुद नही होते हुये गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर अप्रार्थी की आपत्ति के बाद दिनांक 06.06.2022 को पुनः दुसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह दर्शाया गया हैं कि खसरा नंबर 3317/6 रकबा 0.32 हैक्टर में प्रार्थी का बेरा खुदा हुआ है, तथा प्रार्थी ने उक्त बेरा से अपनी भूमि पर बिना इजाजत के रास्ता को खुर्द बुर्द करते हुए पाईप लाईन अपनी भूमि तक लाई है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है। प्रार्थी जिस भूमि खसरा नंबर 3348/3 से पाईप लाईन ले जाना चाहता है, उस भूमि के पास सार्वजनक रास्ता उपलब्ध है, तथा प्रार्थी उक्त रास्ते से होकर अपनी पाईप लाईन ले जा सकता है, फिर भी प्रार्थी ने बदनियती से प्रेरित होकर अप्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की नियत से उनकी भूमि को क्षति पहुँचाने के लिये पाईप ले जाना चाहता हैं। पटवारी हल्का, बाली, तहसीलदारजी, बाली ने दिनांक 06.06.2022 को जो रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। उसमें अपनी स्वेच्छा से प्रार्थी का बेरा खसरा नंबर 3317/6 रकबा 0.32 हैक्टर में स्थित होना बताते हुए उक्त बेरे से पाईप लाईन से पानी जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस बेरे का कहीं पर भी जिक्र नहीं नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता हैं कि पटवारी हल्का, बाली व तहसीलदार, बाली ने प्रार्थी को फायदा पहुँचाने की नियत से रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तथा अपनी रिपोर्ट में मौके व रेकर्ड में स्थित गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 3341 का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, जबकि प्रार्थी अपने स्वामित्व के बेरे से पाईप लाईन उक्त रास्ता के खसरा नंबर 3341 से ले जा सकता है। जिसमें किसी सख्स को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा। तथा सुगमता से अपनी भूमि के धोरे से लगते हुए पाईप लाईन ले जा सकता है। अपनी दलीलो के अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौके की भौतिक व राजस्व रेकर्ड की स्थिति के विपरित होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील आपत्तिकर्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि बाली के खसरा नंबर 3348/1 रकबा 0.48 हैक्टर में सिंचाई का कोई स्त्रोत नहीं होने से खसरा नंबर 3317/1 में स्थित कुएँ से लेकर विवाद रहित रूट गै.मु. नदी से होकर पाईप लाईन बिछाने का अनुरोध न्यायालय से किया था। जिस रूट की भूमि प्रतिबंधित भूमि होने से न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रूट के सबंध में रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से चाही गई। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ दिनांक 12.05.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट के सबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर 3345 में मौके पर किसी प्रकार का बेरा स्थित नहीं होते हुये प्रार्थी द्वारा झुठा आवेदन पेश किया गया एवं तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो द्वारा भी मौका स्थिति के विपरित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य बताया। उक्त आपत्ति के सबंध में न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट भी तलब की गई एवं मौका भी देखा जा चुका है। वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रार्थी की खरीद शुदा खातेदारी भूमि बाली के खसरा नंबर 3317/1 में स्थित कुएँ से पाईप लाईन पुर्व में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3348/3 तक बिछाई हुई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट से होती है। तथा अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति के पश्चात् प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी पेश किया जा चुका है, जिसका अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुती के पश्चात् न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुये संशोधन के आदेश भी दिये जा चुके है। एवं अब अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः यह एतराज करना विधि सम्मत नहीं हैं कि मौके पर मौजुद गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 3341 से पाईप लाईन ले जाई सकती है। इसलिये अप्रार्थी की भूमि मेंसे पाईप लाईन की अनुमति नहीं दी जा सकती। धारा 251 (ए) में विधिक प्रावधानो के अनुसार निकटतम रूट से नया रास्ता अथवा पाईप लाईन के लिये अनुमति दी जा सकती है। अब न्यायालय को तय करना है कि किस रूट से अनुमति दी जाये। वकील प्रार्थी ने यह भी दलील दी कि एक टिनेन्ट को धारित खातेदारी भूमि में कृषि गतिविधियॉ करने के ही अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार 3 फीट नीचे विधि के तहत किसी प्रकार के अधिकार भी हासिल नहीं है। अब वर्षा ऋतु भी प्रारम्भ होने वाली है, तथा बार–बार आपत्तियो के आधार पर प्रकरण को और आगे लंबित रखना न्याय संगत नहीं है, अतः धारा 251(ए) के प्रावधानो अनुसार तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक दिनांक 06.06.2022 से प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित रूट से भूमिगत् पाईप लाईन बिछाने की अनुमति जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 3348/1 रकबा 0.48 हैक्टर में सिंचाई के लिये कोई स्त्रोत नहीं है। इसी कारण आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि की सिंचाई के लिये अन्य खरीदशुदा खातेदारी भूमि बाली के खसरा नंबर 3317/1 में खोदे गए कुएँ से उक्त भूमि को सिंचित करने के लिये आवेदन किया, आवेदन प्रस्तुत करने से पुर्व खसरा नंबर 3317/1 में स्थित कुआ से प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3348/3 तक पाईप लाईन अन्य पक्षकारो/खातेदारो की सहमति से मौके पर बिछाई हुई होने से इसके आगे निरन्तरता में धारित खसरा नंबर 3348/1 रकबा 0.48 हैक्टर की सिचाई हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिये उक्त आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2020 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 04.01.2022 को पंजिबद्ध कर तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तलब की गई।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.......04

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2021 GCMS No. 2021/9
अनवान कोना उर्फ कानाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1365 रकबा 16.31 हैक्टर गै.मु. नदी प्रतिबंधित भूमि होने से अन्य रूट अप्रार्थीगण की खातेदारी से पाईप लाईन की अनुमति बाबत् अनुशंषा की गई। जिससे इस रूट में पडने वाले ग्राम बाली के खसरा नंबर 3348/2, 3348/12, 3348/13, 3348/16 के खातेदारान् हितबद्ध पक्षकारान् को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर खसरा नंबर 3348/12 के खातेदार दलाराम पुत्र नगाराम स्वयं एवं खसरा नंबर 3348/13 के खातेदार मोटाराम पुत्र नगाराम की ओर से उनकी पत्नि मांगी ने दिनांक 18.05.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 व 04 यथा रामा, जसाराम पिसरान् नगाराम ने अधिवक्ता श्री रताराम राठौड के माध्यम से प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस आपत्ति के संदर्भ में तहसीलदार, बाली से पुनः मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई, जो रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक दिनांक 06.06. 2022 से प्रस्तुत कर दी है। एवं अब अप्रार्थी द्वारा पुनः आपत्ति की जा रही है, जो उचित नहीं है। **इस सबंध में धारा 251(क) के अनुसार– अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाईप लाईन बिछाना** (1) जहां (क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाईप लाईन बिछाना चाहता है,

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं, तो एक अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविध के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता हैं कि–

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हैं और यह जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं, और

(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है:–

तो आदेश द्वारा, आवेदन को, अभिधारी, जो भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए अधिकार को मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा। अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है। हस्तगत् प्रकरण की मौका स्थिति के अवलोकन से यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को सिंचित करने के लिये प्रार्थी की खातेदारी भूमि से होकर पाईप लाईन बिछाई हुई है। अब प्रार्थी को अप्रार्थी पक्ष अपनी खातेदारी भूमि मेंसे होकर पाईप लाईन बिछाने के लिये सहमत नहीं है, प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि अप्रार्थी पक्ष के दो भाईयो ने तो इस बाबत् सहमति भी प्रकट कर दी है। तथा अप्रार्थी जसाराम पुत्र नगाराम द्वारा इनके **दूसरे निजी विवाद की प्रार्थी द्वारा उनको रास्ते के लिये छोडी गई भूमि से जाने नहीं दिया जाता है**, को आधार बनाते हुये प्रकरण में अनावश्यक आपत्तियॉं बार–बार प्रस्तुत की जा रही है। दूसरे विवाद के लिये प्रार्थी की खातेदारी भूमि को सिंचित करने के लिये तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से भूमिगत् पाईप लाईन बिछाने के लिये वंचित नहीं किया जा सकता। जिससे अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तमाम आपत्तियॉं खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 3348/1 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल की सिंचाई हेतू कोई विकल्प नहीं होने से आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 3317/1 में खोदे गए कुऍं से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–02 के सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 3348/3 तक मौके पर पाईप लाईन बिछाई हुई होने से इसके आगे अप्रार्थीगण संख्या–02 यथा रामाराम, दलाराम, मोटाराम, जसाराम पिसरान् नगाराम जाति सीरवी निवासीगण बाली की खातेदारी भूमियॉं ग्राम बाली के खसरा नंबर 3348/, 3348/12, 3348/13, 3348/16 मेंसे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उल्लेखित रूट से 3 फीट गहरी व 2 फीट चौडी **लम्बाई में 96 वर्गमीटर** नियमो

पेज लगातार........05

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//05//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2021 GCMS No. 2021/9

अनवान कोना उर्फ कानाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :—

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 3743996/– प्रति हैक्टर की दर का 1/10 राशि	नाम खातेदार
3348/2	0.23 हैक्टर	24 वर्गमीटर	374.39	899	रामाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
3348/12	0.06 हैक्टर	24 वर्गमीटर	374.39	899	दलाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
3348/13	0.213 हैक्टर	24 वर्गमीटर	374.39	899	मोटाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
3348/16	0.213 हैक्टर	24 वर्गमीटर	374.39	899	जसाराम पुत्र नगाराम जाति सीरवी
	कुल योग	96	—	3596/—रूपये	

प्रस्तावित पाईप लाईन के रास्ते में खडी रजगा की फसल का 5000/—रूपये की क्षति होने से कुल (3596 + 5000) =8596/— (**अक्षरे आठ हजार पांच सौ छियानवे रूपये मात्र**) आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को 1/4 हिस्सा अनुसार बराबर—बराबर अदा की जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित रूट से आवेदक को भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 27-6-2022

क्रमॉक/कोर्ट(भूमिगत पाईप लाईन)/2022/ 2162-2166
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक कोना उर्फ कानाराम गोद पुत्र गलाराम सीरवी निवासी बाली सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner